

भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका: एक अवलोक

डॉ. उस्मान गनी
पी.एच.-डी. पटना विश्वविद्यालय

सार-संक्षेप:

जब भारतीयों द्वारा बनाए संविधान के तहत भारत में लोकतन्त्र को स्थापित किया गया तो पश्चिमी देशों में जबर्दस्त उत्सुकता और संदेह व्याप्त था। यह संदेह और उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि परस्पर विरोधी विविधताओं से भरे और सदियों की गुलामी झेल चुके भारत में पश्चिमी ढंग का लोकतन्त्र कामयाब हो पाएगा? भारत के लिए मौजूद इन संदेशों और उत्सुकता के निराकरण के लिए कई पश्चिमी विद्वानों और संगठनों ने भारत की यात्रा की। मोटे तौर पर भारत के अधिकांश भागों की उन्होंने यात्रा की। यात्रा और सर्वेक्षण करनेवाले इन तमाम संगठनों में फोर्ड फाउंडेशन भी एक था। इसने अपने आकलन में पाया था कि लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए जिस परिवेश की दरकार होता है वह सबसे ज्यादा मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बिहार में मौजूद था। बेशक ये बात सुकून देनेवाली हो सकती है पर इससे ज्यादा यह बात बिहार की वर्तमान अवस्था के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। परिस्थितियों में इस आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सत्ता पक्ष की सरकारें तो निर्विवाद रूप से जिम्मेदार ठहराई जा सकती है पर ऐतिहासिक प्रमाण साबित करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी विपक्षी दलों की भी होती है। इस लिहाज से जो कुछ भी हुआ हो रहा है और होगा-इन सबकी जिम्मेदारी से विपक्ष मुँह नहीं मोड़ सकता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में इसी के अध्ययन की कोशिश की गई है।

लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका:

लोकतन्त्र की कामयाबी के लिए सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की भूमिका को महत्त्व दिया जाता है। अन्यथा सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो तानाशाही समेत सरकार के अन्य रूपों में भी होती है। ऐसा होता आया है कि हर प्रकार की सरकार में सत्ता पक्ष सट्टा हासिल होते ही जनता के मुद्दों से विमुख हो जाता है। ऐसे में यह विपक्ष ही है जो उसे बार-बार उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाता है। मोटे तौर पर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में विरोधी दलों का भूमिकाएं निम्नलिखित होती है-

(1) **सरकार चलाने लिए सत्ताहीन होना**-प्रत्येक विरोधी दल का यह उद्देश्य होता है कि वह सत्ता प्राप्त करने और सरकार चलाये। इस प्रकार की महत्त्वकांक्षा की राजनीतिक दल में सक्रियता प्रदान करती है। सत्ताहीन होने के लिए वे जनमत को अपने पक्ष में परिवर्तित करते हैं। सत्ता द्वारा ही वे अपनी दलीय नीतियों को कार्यरूप में परिवर्तित करते हैं। वे अपने दल या व्यापारियों की नीतियों और उद्देश्यों को प्रचारित-प्रसारित कर जनता में अपने लिए विश्वास पैदा करने का प्रयास करते हैं।

(2) **मतदाताओं में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना-विरोधी दल** अपने राजनीतिक तथा आर्थिक विचारों का जगह-जगह प्रचारित करते हैं। वे जनता को अपनी पक्ष में करने के लिए जनसभा द्वारा उन्हें सम्बोधित करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा सभी साधारण जन उनके विचारों तथा नीतियों को जान पाते हैं। इस तरह विरोधी दल जनता में राजनीतिक चैतन्यप्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह शासन दल के साथ अन्य दलों की नीतियों को आलोचना द्वारा प्रकाश में अन्य जनता को नीर क्षीट विवेक का अवसर देती है।

(3) **सत्तारूढ़ की निरंकुशता से बचाव-सत्तारूढ़ दल** कभी-कभी अपने-अपने स्पष्ट बहुमत के बल पर राष्ट्र जीवन के मान्य सिद्धान्तों तथा नैतिक मूल्यों की हत्या करने का प्रयास करती हैं। ऐसी दशा में विरोधी दलों द्वारा प्रचार माध्यमों तथा आन्दोलनों के माध्यमसे प्रबल जनमत की उत्पत्ति की जाती है तथा वे नैतिक मूल्यों की हत्या नहीं होने देते। इस प्रकार सरकार ने भ्रष्टाचारी हथकंडों का पर्दाफाश करने के लिए विरोधी दल के साथ-साथ प्रेस की भूमिका अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है।

(4) **प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना-कभी-कभी** शासन दल प्रजातांत्रिक पद्धति से सत्ता में सभी विरोधी दलों की राज्यासरकारों को अपदस्थ करता है। ऐसी दशा में विरोधी दल संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर यदि कमजोर नहीं पड़ जाते हैं और जनता को अत्याचार तथा अन्याय से मुक्ति दिला पाते हैं तो वे अपनी सही भूमिका निभाते हैं।

ऐसा करके वे राजनैतिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार विरोधी दलों की सक्रिय भूमिका सही रणनीति से ही प्रजातन्त्र की रक्षा सम्भव है।

विपक्ष की भूमिका का सबसे शानदार उदाहरण:

सामान्य तौर पर लोकतन्त्र की सफलता के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को श्रेय देने के लिए उदाहरण के तौर पर पश्चिमी देशों का चुनाव किया जाता है। मसलन द्वितीय विश्वयुद्ध के तूफानी दिनों में ब्रिटेन की सब पार्टियों ने दलीय हितों को किनारे रखकर साझा सरकार बनाई और साझे प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्वयुद्ध से न केवल ब्रिटेन को निकाला बल्कि अप्रत्याशित जीत भी हासिल करवायी। लेकिन भारत में भी इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं। मसलन- नेहरू के समय में राम मनोहर लोहिया द्वारा निर्भाई गई विरोधी भूमिका।

जनता को सबसे पहले डॉ राम मनोहर लोहिया जीने ही बताया था कि विपक्ष का काम ही जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना और सरकार के काम-काज पर पैनी नजर रखना है। इस बात का प्रमाण हमें इस घटना से मिलता है। 1950 से लेकर 1964 तक संसद निश्चित तौर पर हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे जीवंत मंच था। इस लिहाज से डॉ राममनोहर लोहिया और पं० **जवाहर लाल नेहरू** के बीच होने वाली बहस बरबस याद आ जाती है। 1963 ई० में डॉ राममनोहर लोहिया ने संसद में एक पर्चा बांटा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि बतौर प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू पर प्रतिदिन 25

हजार रूपयों का खर्च आता है जबकि देश की आम जनता को प्रतिदिन 3 आने की कमाई पर निर्वाह करना पड़ता है। डॉ राममनोहर लोहिया के इस आरोप पर जब पं० नेहरू ने स्पष्टीकरण दिया तो डॉ लोहिया ने उनके हर तर्क का पुरजोर खंडन किया।

पं० नेहरू का कहना था कि योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान के प्रति नागरिक पर प्रतिदिन औसतन 15 आने खर्च होते हैं। पं० नेहरू को भी अंततः मानना पड़ा था कि आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। अर्थात् एक व्यक्ति ने तत्कालीन सरकार का विरोध करके विपक्ष के मजबूतस्वरूप का चित्रण कर दिया। लोकतंत्र को अच्छा इसीलिए माना गया है क्योंकि इसमें सत्ता के अलावा विपक्ष भी होता है। जो सरकार द्वारा हो रही त्रुटियों को बताता है और आलोचना करता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में अगर सकारात्मक रूप से हो तो यह श्रेष्ठ है। आने वाले कई दशकों तक राम मनोहर लोहिया की यह विपक्षी भूमिका विरोधी दलों के लिए एक मिसाल बनी रही। इतना ही नहीं आज भी जब कभी विरोधी नेता कैसे होने चाहिए के सवाल पर लोहिया की भूमिका को याद किया जाता है।

प्रस्तुत पत्र में आगे चलकर विपक्ष की भूमिका को इन्हीं कसौटियों पर कस कर देखा जाएगा।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि बिहार बहुत ही लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहा है। इसे इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि पिछले सात दशकों में भारत में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हुए हैं बिहार की धरती उसकी जननी रही है। 1990 के दशक में बिहार न केवल मंडल-समर्थक और मंडल-विरोधी आंदोलन के केंद्र में था 1975 में वह आपातकाल-विरोधी आंदोलन का भी केंद्र रहा जो जे पी आंदोलन के नाम से जाना जाता है और जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। यह बताना जरूरी है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी बिहार ने राजनीतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारे इतिहास की पुस्तकों में जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया जो कि बिहार के उत्तर-पूर्व में स्थित एक जिला है।

2014 के चुनाव और राजनीति की नई करवट

21वीं सदी के राजनीति में 2014 बहुत मायने में एक क्रांतिकारी साल रहा। पिछड़ों और दबे-कुचलों के मसीहा कहे जानेवाले कांग्रेस वर्षों का राजनीतिक तिलिस्म टूट गया। जिसके खिलाफ विपक्ष को कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा था। यद्यपि विकास के तमाम पैमानों पर बिहार इन वर्षों में चेतक की रफ्तार से पीछे भाग रहा था। अब सवाल यह उठता है कि विपक्ष की इस लाचारगी की वजह क्या थी?

हालांकि कभी कभार राजद के साथ गठबंधन करने वाली काँग्रेस भी राज्य में कुछ चुनाव अपने दम पर लड़ी है। भाजपा और अन्य भाजपा के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में टिकाऊ गठबंधन करने में कामयाब रहे। अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जैसे राम विलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेपी) ए वामपंथी पार्टियां जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (भाकपा-माले) और कुछ अन्य छोटी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने पिछले तीन दशक की चुनावी राजनीति में अपना योगदान दिया है। ये छोटी क्षेत्रीय पार्टियां सामान्यतया मामूली भूमिका अदा करती हैं पर कई बार राज्य की चुनावी राजनीति में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और इस बार देश की सत्ता बदल गई। भाजपा गठजोड़ कर पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने।

वर्ष 2014 भारत की राजनीति के लिए अहम वर्ष रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एन डी ए को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत मिली। मई 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के कुछ दिनों बाद ही नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिये गए अपने भाषण कई अभूतपूर्व घोषणाएँ की थीं जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचनेवाली घोषणा थी- पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का नियोजित विकास करने वाली संस्था और नेहरू जी के विचार-शिशु योजना आयोग की समाप्ति और उसकी जगह पर नीति आयोग का इस नए आयोग गठन। इस नए आयोग के गठन के पीछे प्रधानमंत्री का तर्क यह था कि पूर्ववर्ती योजना आयोग ने राज्यों की भूमिका को सीमित कर दिया था और उन्हें नियोजन के लिए केंद्र के भरोसे छोड़ दिया था जबकि नया आयोग राज्यों को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा और योजना-निर्माण क्रियान्वयन और मूल्यांकन में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाएगा। इसे "टीम इंडिया" के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन इस आयोग को बने आज 5-6 साल होने को आ चुके हैं स्थितियाँ कुछ उल्लेखनीय तौर पर नहीं बदल सकी हैं।

सत्ताधारी दलों की साझा विरासत/राजनीति में विपक्ष की भूमिका की विशेषता:

वर्तमान में विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों की राजनीतिक विरासत तकरीबन साझा रही है। विपक्षी दलों की भूमिका और सत्ता के लिए उनका संघर्ष कई मामलों में अतुलनीय रहा। जिसकी मिसाल मिलना पूरे भारत वर्ष में मुश्किल है। 2014 के लोक सभा चुनाव में राजग गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के औपचारिक उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का जबर्दस्त विरोध किया था। सहयोगी दलों का ऐसा रुख सिर्फ बिहार में ही

देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं चुनावोपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में भी गठबंधन दलों में वैमनस्य जारी रहा। एक बार फिर बिहार की राजनीति का अद्वितीय पहलू सामने आया कि गठबंधन घटक कब सत्ता में साझीदार बन जाएँ और कब विरोधी दल की भूमिका में नजर आने लगें।

2014 के चुनाव में पुनः अभिनव प्रयोग देखने को मिला था। जिस जनता दल यूनाइटेड ने अपनी स्थापना के समय से ही राजद के खिलाफ संघर्ष झण्डा बुलंद किया था उसी के साथ महागठबंधन बनाया। चुनाव के परिणाम भी बेहद अप्रत्याशित रहे। क्योंकि उस समय जिस तरह पूरे भारत में मोदी लहर चल रही थी उस लहर को दरकिनार करते हुए बिहार ने एकदम अलग जनादेश दिया और महागठबंधन को जीत और राजग को करारी शिकस्त मिली। विकास पुरुष नीतीश जी के दल जनता दल यूनाइटेड और लालू के दल राजद ने समान रूप से 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था पर राजद ने विजयी सीटों के मामले में जेडीयू को काफी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अचरज की बात चुनाव बाद आनी थी। चुनाव-पूर्व गठबंधन की शर्तों के मुताबिक अधिक सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकी बहुत जल्द ही यह बेमेल गठबंधन टूट गया और एक दिन-रात के हास्यास्पद राजनीतिक ड्रामे के बाद 2017 में नीतीश ने दुबारा राजग से गठबंधन किया और सत्ता पर पकड़ बरकरार रखी। नीतीश कुमार की विकास-पुरुष की छवि के जगह पलटूराम की छवि उभर कर सामने आ गई। 2015 के चुनाव के समय की डीएनए-संबन्धित सभी राजनीतिक आक्षेप हवा में कहीं गुम हो गए।

निष्कर्ष:

अंततः पूरे अध्ययन के बाद निष्कर्ष के रूप में यह तथ्य सामने आता है कि लोकतन्त्र की कामयाबी में सत्ता पक्ष के साथ-2 विपक्ष की भी बेहद अहम भूमिका होती है। बिहार की राजनीति इसका अपवाद नहीं हो सकती है। 21वीं सदी की शुरुआत में 2005 के विधान-सभा का चुनाव अपने तमाम पूर्ववर्ती चुनावों से विशिष्ट था। एक बार चुनाव में परिदृश्य स्पष्ट न होने की वजह से दुबारा चुनाव हुए और 15 सालों से सत्ता पर काबिज राजद को राजग ने ऐसी करारी शिकस्त दी कि वह आज तक विपक्ष की भूमिका निभाने को अभिशप्त है। लेकिन ध्यातव्य बात यह रही कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर दोनों में कोई ज्यादा अलगाव नहीं था। सत्ता किसी के पास होए कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं के बराबर आया है। बहुत बार विपक्षी दलों के संघर्ष के बजाय चुनाव आयोग की कठोरता से सत्ता के समीकरण बदले हैं। यह बिहार में विपक्ष की भूमिका पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। राजनीति में आदर्श कहीं खो गए हैं और अवसरवाद अपने चरम पर है। विपक्ष अपने संघर्ष से ज्यादा सत्ता के खिलाफ लोगों में विरोध के आधार पर सत्ता पाने की प्रतीक्षा में हैं। इसका बिहार की राजनीति की शानदार विरासत से दूर-दूर तक कोई मेल नहीं बैठ रहा है।

संदर्भ सूचि:

- 1^प भारत का संविधान
- 2^प महात्मा गाँधी : यंग इंडिया
- 3^प कार्मिक ए लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2013-14) ए नई दिल्ली
- 4^प बीएल फाड़िया लोक प्रशासन साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2009
- 5^प भट्टाचार्य ए एम। (1998) रूज न्यू होरिजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन" ए जवाहर पब्लिशर्स अँड डिस्ट्रीब्यूटर्स ए नई दिल्ली
- 6^प शरण ए पी।- चतुर्वेदी ए डी (1985) : " लोक प्रशासन" ए मीनाक्षी प्रकाशन ए मेरठ
- 7^प अवस्थी एवं माहेश्वरी (2008) : " लोक प्रशासन" ए लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ए आगरा
- 8^प देवराय विवेक और राहुल मुखर्जी असंपादित द्वय 2004। द पालिटिकल इकानोमी आफ रीफ़ोर्म्स एबुकवेल पब्लिवेफ़ेशन ए नई दिल्ली